

समाहरणालय, जहानाबाद

(जिला स्थापना शाखा)

आदेश

एक ही स्थान पर तीन वर्ष अथवा तीन वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य करने वाले राजस्व कर्मचारियों का प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण एवं पदस्थापन उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर किया जाता है:-

क्र०	राजस्व कर्मचारी का नाम	गृह अंचल	वर्तमान पदस्थापन	स्थानांतरित कार्यालय	अभ्युक्ति
1	श्री अविनाश कुमार नलिन	करपी	जहानाबाद अंचल	हुलासगंज अंचल	
2	श्री उदय प्रसाद	काको	जहानाबाद अंचल	मखदुमपुर अंचल	
3	श्री अर्जुन प्रसाद पाण्डेय	डगरूआ	जहानाबाद अंचल	मखदुमपुर अंचल	
4	श्री वशिष्ठ नारायण सिंह	औरंगाबाद	जहानाबाद अंचल	रतनी फरीदपुर अंचल	
5	श्री गजेन्द्र शर्मा	अरवल	काको अंचल	रतनी फरीदपुर अंचल	
6	श्री अमरेन्द्र कुमार	मखदुमपुर	काको अंचल	मोदनगंज अंचल	
7	श्री महेश शर्मा	जहानाबाद	काको अंचल	मखदुमपुर अंचल	
8	श्री राजकुमार शर्मा	जहानाबाद	मखदुमपुर अंचल	मोदनगंज अंचल	
9	श्री गणेश भारती	जहानाबाद	मखदुमपुर अंचल	घोषी अंचल	
10	श्री उमाकान्त शर्मा	जहानाबाद	मखदुमपुर अंचल	काको अंचल	
11	श्री रंजीत कुमार	घोषी	मखदुमपुर अंचल	रतनी फरीदपुर अंचल	
12	श्री गुलाम रशीद	पूर्णिया	मखदुमपुर अंचल	काको अंचल	
13	श्री नारायण यादव	पूर्णिया	मखदुमपुर अंचल	जहानाबाद अंचल	
14	श्री शमशूल कमर	काको	रतनी फरीदपुर अंचल	मखदुमपुर अंचल	
15	श्री सरयुग प्र० सिन्हा	वारसलीगंज	रतनी फरीदपुर अंचल	जहानाबाद अंचल	
16	श्री शिव वल्लभ यादव	मखदुमपुर	रतनी फरीदपुर अंचल	काको अंचल	
17	श्री अंजनी कुमार	मखदुमपुर	रतनी फरीदपुर	जहानाबाद अंचल	
18	श्री पार्थ सारथी कुमार	अरवल	घोषी अंचल	रतनी फरीदपुर	
19	श्री रामधारी प्रसाद	रोहतास	घोषी अंचल	हुलासगंज अंचल	
20	श्री ललन कुमार	अरवल	घोषी अंचल	मखदुमपुर अंचल	
21	श्री युगल किशोर	वैशाली	मोदनगंज अंचल	मखदुमपुर अंचल	
22	श्री महेन्द्र पाण्डेय	रजौली	मोदनगंज अंचल	जहानाबाद अंचल	
23	श्री सुरजीत कुमार सिंह	औरंगाबाद	हुलासगंज अंचल	घोषी अंचल	
24	श्री कृष्ण प्रसाद राय	नवादा	हुलासगंज अंचल	घोषी अंचल	

2. स्थानान्तरित राजस्व कर्मचारियों को माह जुलाई, 2016 का वेतन स्थानान्तरित स्थान पर योगदान करने के पश्चात ही स्थानान्तरित कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
3. संबंधित कार्यालय प्रधान को निदेश दिया जाता है कि स्थानान्तरित राजस्व कर्मचारियों को पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर स्थानान्तरित स्थान पर योगदान करने हेतु विरमित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित राजस्व कर्मचारी अपने जिम्मे संपूर्ण अभिलेखों एवं दस्तावेजों का प्रभार प्रतिवेदन तीन प्रति में तैयार करेंगे और प्रभार आदान-प्रदान के पश्चात एक प्रति प्रभार प्रतिवेदन कार्यालय के रक्षी संचिका में सुरक्षित ढंग से रखना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित कार्यालय प्रधान किसी भी प्रकार के स्थाई अग्रिम/बकाया को अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में अंकित कर विरमन आदेश निर्गत करेंगे। ससमय प्रभार का आदान-प्रदान कराकर विरमित करना कार्यालय प्रधान की जिम्मेवारी होगी। यदि संबंधित कर्मी प्रभार देने/लेने में लापरवाही बरतते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
4. यदि किसी राजस्व कर्मचारी द्वारा एक पक्ष के अंदर प्रभार प्रतिवेदन नहीं सौंपा जाता है, तो उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे एवं अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. यदि किसी राजस्व कर्मचारी को ससमय विरमित नहीं किया जाता है, तो दिनांक 15.07.2016 को स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

30/6/16
जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।

ज्ञापांक:- 683 /स्था0, दिनांक:- 30/06/2016

- प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त, जहानाबाद/अपर समाहर्ता, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद/भूमि सुधार उप समाहर्ता, जहानाबाद/प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि:- सभी अंचल अधिकारी, जहानाबाद जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि:- स्थानान्तरित सभी राजस्व कर्मचारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि:- एक प्रति रक्षी संचिका में।

30/6/16
जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।